



**नगर निगम शिमला
सार्वजनिक सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा कार पार्किंगों, निगम की कैंटीन इत्यादि के लिए मोहरबन्द निविदायें दिनांक 1.12.2016 को सांय 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदायें उसी दिन सांय 3.00 बजे रोटरी टाउन हाल दी माल शिमला में निविदायें खोलने हेतु गठित समिति के समक्ष खोली जाएगी।

निगम सम्पत्तियों की सूची जिनका आबंटन केवल ई-टैण्डरिंग के माध्यम से किया जाना है।

क्रम सं०	विवरण	वाहन क्षमता/ क्षेत्रफल वर्ग मीटर/ वर्ग फुट	अवधि	धरोहर राशि (रु०)	आरक्षित राशि (रु०)
1.	मैट्रोपोल के नीचे निगम परिसर में पांचवी मंजिल की कार पार्किंग	60 वाहन	एक वर्ष	2,94,000/-	19,61,000/-वार्षिक
2.	मैट्रोपोल के नीचे निगम परिसर में चौथी मंजिल की कार पार्किंग	60 वाहन	एक वर्ष	2,94,000/-	19,61,000/-वार्षिक

निगम सम्पत्तियों की सूची जिनके आबंटन हेतु निविदायें सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से आमंत्रित की जानी हैं:-

1.	सड़क कार पार्किंग चौड़ा मैदान	15 वाहन	एक वर्ष	14,000/-	1,40,000/-वार्षिक
2	मैट्रोपोल कार पार्किंग की पाँचवीं मंजिल की कन्टीन	168 वर्ग फुट	एक वर्ष	30,000	1,77,600/- वार्षिक
3	दो पहिया पार्किंग रिवोली रोड़ शिमला	40 दो पहिया वाहन	एक वर्ष	17,500/-	1,75,000/- वार्षिक
4	सड़क कार पार्किंग लिफ्ट माल रोड को युएस क्लब	28 वाहन	एक वर्ष	24,000/-	2,39,400/- वार्षिक
5.	निगम कार पार्किंग नजदीक अग्रवाल धर्मशाला लौंगबुड उपरी तल	8 वाहन	एक वर्ष	22,900/-	1,52,500/- वार्षिक
6.	निगम कार पार्किंग नजदीक अग्रवाल धर्मशाला लौंगबुड नीचला तल	7 वाहन	एक वर्ष	23,600/-	1,57,500/- वार्षिक
7	निगम कार पार्किंग सामूदायिक भवन कैथू	15 वाहन	एक वर्ष	15,600/-	1,04,300/- वार्षिक

8	निगम कार पार्किंग नजदीक जे0सी0बी0 स्कूल ब्लाक न0-31, न्यू शिमला सैक्टर -3 हि0 प्र0	15 वाहन	एक वर्ष	13,800/-	91,800/- वार्षिक
---	---	---------	---------	----------	------------------

शर्तें व निबन्धन:-

1. सशर्त व धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदायें रद्द कर दी जाएंगी। उन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।
2. धरोहर राशि केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएंगी जो आयुक्त/सहायक आयुक्त नगर निगम शिमला के पक्ष में शिमला में देय होगी।
3. सफल निविदाकार को पार्किंगों की ठेका राशि की 25 प्रतिशत राशि देय सेवाकर सहित स्वीकृति पत्र की तिथि से 7 दिनों के भीतर व पार्किंगों की पूर्ण ठेका राशि पर देय टी.सी.एस. इत्यादि का भुगतान अग्रिम रूप में करना होगा। यह ठेका राशि के अतिरिक्त होगा तथा पार्किंगों की शेष राशि के 10 उत्तर दिनांकित चैक सेवाकर सहित (पोस्ट डैटिड चैक) अग्रिम रूप में देने होंगे।
4. प्रत्येक सफल निविदाकार की धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि में परिवर्तित किया जाएगा जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. निविदाकार या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित हो सकता है।
6. विवाद की स्थिति में न्यायालय अधिकार क्षेत्र शिमला शहर होगा।
7. निविदायें खोलने वाले दिन यदि अवकाश घोषित हो जाता है तो निविदायें अगले कार्य दिवस को निश्चित स्थान व समय पर प्राप्त की व खोली जाएंगी।
8. निविदाओं की राशि निगम द्वारा निर्धारित टैन्डर फार्म में साफ शब्दों व अंकों में लिखनी होगी, जिस पर किसी भी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी तथा लिफाफे पर निविदा का नाम लिखना होगा। अधूरी निविदा मान्य नहीं होगी। टैन्डर फार्म निगम की वेबसाइट में निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
9. सामान्य प्रक्रिया के अर्न्तगत आंमन्त्रित निविदायें सहायक आयुक्त, नगर निगम शिमला के कार्यालय कक्ष में रखे निविदा बॉक्स में डालनी होंगी, तथा विसमय सीमा के तुरन्त पश्चात निविदा बॉक्स बन्द कर दिया जाएगा ताकि कोई निविदा समय अवधि के पश्चात न डाली जा सकें। व्यक्तिगत तौर पर कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदा केवल निविदा बॉक्स में डाली गई ही स्वीकार होंगी।
10. ई-टैन्डरिंग के अर्न्तगत निविदायें **On Line** ही मान्य होगी। बॉक्स में डाली गई निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा, तथा सम्बन्धित दस्तावेज जैसे बैंक ड्राफ्ट, तथा पैन कार्ड की कापी स्कैन की जानी अपेक्षित है। इन दस्तावेजों को मूल रूप में टैन्डर खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा।
11. सामान्य प्रक्रिया के अर्न्तगत यदि निविदा डाक द्वारा भेजी जाती है तो यह निगम के कार्यालय में निविदा की तिथि से एक दिन पूर्व साँय 5.00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए अन्यथा देर से प्राप्त निविदाये मान्य नहीं होंगी।

12. केन्द्र सरकार,राज्य सरकार, नगर निगम शिमला या अन्य द्वारा लगाया गया कोई भी कर/सेवाकर निविदाकार को अदा करना होगा और यह दरों में सम्मिलित करके मान्य नहीं होगा।
13. यदि कोई निविदाकार नगर निगम की किसी सम्पति/दुकान/स्टाल/ पार्किंग आदि का देनदार पाया गया तो उसकी निविदा रद्द कर दी जाएगी और बाद में पता लगने पर भी निविदा स्वतः रद्द समझी जाएगी।
14. उच्चतम निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने पर नगर निगम के साथ निगम द्वारा तय शर्तों के अनुसार इकरारनामा/पट्टाविलेख निर्धारित अवधि के अन्दर-2 निष्पादित करना होगा अन्यथा निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा उस द्वारा दी गई उच्चतम निविदा रद्द समझी जाएगी।
15. जिन ठेकेदारों के पास वर्तमान में पार्किंग का ठेका है, यदि वह निविदा देना चाहते हैं तो उन्हें नगर निगम शिमला की सम्पदा शाखा से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
16. निविदाओं के नियमों व शर्तों पर यदि किसी निविदाकार को कोई आपत्ति हो तो वह सम्बन्धित निविदाओं के खोलने से पहले अपनी आपत्तियाँ दायर कर सकता है। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
17. उपरोक्त वर्णित शर्तों के अतिरिक्त सभी निविदाओं की अलग-अलग शर्तें भी हैं। जो अधीक्षक सम्पदा से किसी भी कार्य दिवस को व्यक्तिगत तौर पर निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।
18. आयुक्त नगर निगम शिमला को बिना कोई कारण बताये किसी या सभी निविदाओं को स्थगित/रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
19. सरकार एवं निगम द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देश मान्य होंगे।
20. आयुक्त,नगर निगम या उसके प्राधिकृत/कर्मचारी को ठेके पर आंबटित सम्पति का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
21. अनुबन्धनामा की शर्तों की उल्लंघन करने पर अनुबन्ध रद्द समझा जायेगा और धरोहर राशि/ प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।
22. निगम पार्किंग विलो मैट्रोपोल में निगम द्वारा आंबटित कन्टीन व एटीएम तथा इस परिसर की नीचली मंजिलों में स्थित कार्यालयों के लिए कम से कम 2 फुट का रास्ता छोड़ना होगा ।
23. अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर यदि कोई नुकसान पाया जाता है तो उस स्थिति में प्रतिभूति राशि से नुकसान पाये जाने की राशि काटकर बाकी की राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जाएगी तथा ठेका पूरा होने पर निविदाकार को सम्पति का कब्जा शान्तिपूर्वक नगर निगम को सौंपना होगा।
24. निगम पार्किंग, कन्टीन व निगम की दुकाने वर्तमान में जिस स्थिति में है उसी सुविधाओं के साथ आंबटित की जाएगी तथा बिजली, पानी के बिलों का भुगतान व लाईसेंस इत्यादि की औपचारिकताएँ उच्चतम निविदाकार को स्वयं अपने स्तर पर प्राप्त करनी होगी।
25. किसी भी पार्किंग में प्राकृतिक व अप्राकृतिक स्थिति से वाहनों को कोई क्षति पहुँचती है तो उसकी जिम्मेवारी नगर निगम की नहीं होगी।
26. निगम द्वारा निर्धारित दरों से यदि ठेकेदार द्वारा वाहन शुल्क अधिक वसूल किया जाता है तो प्रथम शिकायत प्राप्त होने एवं दोष सिद्ध होने पर रू0

- 20,000/-जुर्माना वसूल किया जायेगा। यदि बार-बार अधिक वसूली बारे शिकायत प्राप्त होती है तो ठेका रद्द कर दिया जाएगा। यह जुर्माना इकरारनामों की अन्य शर्तों की उल्लंघना करने पर भी वसूल किया जाएगा। पुनः शिकायत प्राप्त होने एवं दोष सिद्ध होने पर आबंटन रद्द कर दिया जाएगा व उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।
27. सूची में दर्शाई निगम की किसी भी सम्पत्ति में यदि बिजली,पानी की कोई राशि देय होगी तो उसका भुगतान सफल निविदाकार को स्वयं करना होगा।
28. उच्चतम निविदाकार को पार्किंग के गेट पर निर्धारित की गई दरों का 4x4 का बोर्ड लगाना होगा जिसमें नगर निगम कार्यालय दूरभाष-नम्बर तथा यथानिर्देशित अन्य जानकारी भी अंकित करनी होगी।
29. सफल निविदाकार को स्थानीय लोगों की सुविधा को देखते हुए व्यवसायिक पार्किंग में स्थानीय लोगों को सर्व प्रथम सुविधा प्रदान करनी होगी तथा पार्किंग में कुल वाहन क्षमता की 30 प्रतिशत वाहन को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करना होगा इसके इलावा सफल निविदाकार को आवासीय पार्किंग में कुल वाहन क्षमता की 80 प्रतिशत और सड़क कार पार्किंग में 30 प्रतिशत स्थान स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करना होगा। स्थानीय व्यक्ति की पहचान के लिए उन्हें स्थानीय पार्श्व की प्रमाण-पत्र/स्वीकृति सहित अपना राशन कार्ड /आधार कार्ड/ बिजली/पानी का बिल,प्रमाण पत्र दस्तावेजों के तौर पर निगम कार्यालय में जमा करवाने होंगे।
30. सफल निविदाकार को नगर निगम की अनुमति पर पात्र स्थानीय व्यक्ति को मासिक पास देना अनिवार्य होगा, जिसका रजिस्ट्रार नगर निगम और ठेकेदार दोनों **Maintain** करेगा। नगर निगम का कर्मचारी कभी भी इसका निरीक्षण कर सकता है, और सफल निविदाकार को इसे हर वक्त साईट पर उपलब्ध रखना होगा। मासिक पास 6 महीने से अधिक अवधि का नहीं दिया जाएगा तथा 6 माह के बाद व्यक्ति को फिर से नवीनीकरण हेतु आवेदन करना होगा।
31. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्यर्टको एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए पार्किंग मोबाईल ऐप आरम्भ कर दी गई है। उच्चतम निविदाकार को मोबाईल ऐप अपनी-अपनी पार्किंग में लागू करनी होगी तथा पार्किंग की काटी गई रसीदे मान्य नहीं होगी। शर्तों की उल्लंघना करने पर निविदाकार से राशि रु0 50,000/- का जुर्माना वसूल किया जाएगा। केवल ऐप न चलने की दशा में ही निगम द्वारा जारी की गई रसीदें काटी जा सकती हैं जो नगर निगम की सम्पदा शाखा से निर्धारित कीमत के भुगतान करने पर प्राप्त की जा सकती हैं।
32. उपरोक्त विषय में अतिरिक्त जानकारी/पूछताछ के लिए अधीक्षक सम्पदा से निजी तौर पर या दूरभाष न0-0177-2802779 पर संपर्क करें। निगम की वेबसाईट www.shimlamc.org है, तथा ई-ट्रेंडरिंग साईट <http://hptenders.gov.in> है,।

आयुक्त,
नगर निगम शिमला

नगर निगम शिमला

नगर निगम शिमला द्वारा, कार पार्किंगों, आदि के आंबटन हेतु। निविदा फार्म सेवा में,

आयुक्त,
नगर निगम, शिमला।

विषय:- निविदा बारे।
महोदय,

मैं अपनी निविदा निम्न ब्यौरे अनुसार प्रस्तुत करता/करती हूँ ।

1.	निविदाकार का नाम व पता तथा सम्पर्क न०	
2.	सम्पति का नाम जिसके लिए निविदा दी गई है।	
3.	धरोहर राशि के ड्राफ्ट का न०, तिथि व राशि	
4.	निविदाकार द्वारा भरी गई निविदा की राशि, मासिक /वार्षिक अंको व शब्दों में	
5.	निविदाकार के हस्ताक्षर तिथि सहित।	
6.	पैन नम्बर	